Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 28 मार्च, 2023

आत्मीयता परीक्षण कभी निर्णायक नहीं हो सकता: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, जाति या जनजाति के दावे को तय करने हेतु **आत्मीयता परीक्षण (Affinity Test) एक प्रभावी और निश्चित तरीका नहीं हो सकता है।** आत्मीयता परीक्षण में जाति/जनजाति के **विशिष्ट मानवशास्त्रीय और जातीय लक्षणों,** देवताओं, अनुष्ठानों, रीति-रिवाज़ों, विवाह के तरीके, मृत्यु संस्कार, शवों को दफनाने के तरीकों आदि के आधार पर **जाति/जनजाति के दावों पर अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन और तैयारी को अनिवार्य करता है।**
और पढ़ें...सर्वोच्च न्यायालय

वित्त विधेयक, 2023

भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिये अपनी बजटीय कार्ययोजना पूर्ण की, जिसमें **संसद के दोनों सदनों ने** वित्त विधेयक**,** 2023 को मंज़ूरी दी, साथ ही वित्त मंत्री द्वारा विधेयक के पिछले संस्करण में **ऑप्शन अनुबंधों पर** प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) दरों में त्रुटि को सुधारने के लिये पेश किये गए एक नए संशोधन को भी मंज़ूरी दी। **वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्तपोषण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं,** जबकि एक विनियोग विधेयक धन निकालने की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। विनियोग और **वित्त विधेयक** दोनों को **धन विधेयक** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिये **राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं** होती है। **राज्यसभा केवल उन पर चर्चा करती है** और विधेयकों को लौटा देती है। एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है, तो **राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है।** राज्यसभा इसे केवल **14 दिनों तक रोक सकती** है या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है, हालाँकि **लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकार कर भी सकती है अथवा नहीं भी कर सकती है।**
और पढ़ें... राज्यसभा एवं लोकसभा

नई NCERT पाठ्यपुस्तकें और पंचादि मार्ग

लगभग दो दशकों के बाद **सभी स्तरों पर स्कूली छात्र 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में पेश की जाने वाली अद्यतन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पाठ्यपुस्तकों से सीखेंगे।** यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** और **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)** के अनुरूप है जिसे अगस्त 2022 में जारी किया गया था। पाठ्यपुस्तकों को 22 भाषाओं में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में **सरकार ने तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये पूर्व-स्कूल से कक्षा 2 तक के लिये NCF जारी किया है।** अन्य वर्गों के लिये रूपरेखा अभी तैयार की जानी शेष है। NCF ने अपने दिशा-निर्देशों में इस बात पर ज़ोर दिया है कि **भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए छात्रों के सीखने की योजना बनाई जानी चाहिये** और **पूर्व-स्कूली या मूलभूत स्तर पर बच्चों के लिये पाँच चरणों वाली सीखने की प्रक्रिया या पंचादि का प्रस्ताव दिया है। पंचादि में अदिति (Introduction of a topic), बोध (Conceptual understanding), अभ्यास (Practice), प्रयोग (Application) और प्रसार (Expansion)** शामिल हैं।
और पढ़ें... राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)**,** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-28-march-2023